झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–930 वर्ष 2017

1. रामू हांड़ी, पे0 स्वर्गीय पुभू हांड़ी, निवासी ग्राम–कतरास, माडा कॉलोनी के नजदीक, डाकघर एवं थाना–कतरासगढ़, जिला–धनबाद।

2. मांझो हांड़िन, पत्नी–भानु हांड़ी, निवासी मोहल्ला–लोको बाजार, डाकघर–गोमो, थाना–हरिहरपुर, जिला–धनबाद।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संक्षेप में झामाडा) अपने प्रबंध निदेशक, के माध्यम से जिनका कार्यालय माडा भवन, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद में है।

2. लेखा अधिकारी, झामाडा, माडा भवन, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री भवेश कुमार और रवि कुमार, अधिवक्तागण

04/दिनांक : 27 मार्च, 2017

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता संख्या–1, स्वास्थ्य सर्किल, झामाडा, कतरास, धनबाद में पुरूष सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ था और 30 जून, 2010 को सेवानिवृत्त हुआ।

याचिकाकर्ता संख्या–2, स्वास्थ्य सर्किल, झामाडा, कतरास, धनबाद में महिला सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुई थी और 31.08.2015 को सेवानिवृत्त हुई।

3. याचियों की शिकायत यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद की बकाया राशि और वैधानिक ब्याज के साथ अन्य स्वीकृत सेवा देय राशि का भुगतान याचियों को नहीं किया गया है, हालांकि उन्होनें क्रमशः अनुलग्नक–3 और 3/1 के माध्यम से अभ्यावेदन दिए हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचियों के अभ्यावेदनों पर कोई उत्तर नहीं दिया गया, इसलिए याचियों ने विवश होकर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय समक्ष आए हैं।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–माडा के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याचियों की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

6. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि यह मामला याचिकाकर्ताओं के सेवानिवृत्ति के बाद के कुछ बकाये और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए अभ्यावेदन देने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति होने पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 विधि के अनुसार इस पर विचार करेगा और अभिलेखों के उचित सत्यापन के

बाद, 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करे, जिसे याचिकाकर्ता को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है, यदि याचिकाकर्ताओं की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वे सेवानिवृत्ति के बाद की देय राशि और अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से स्वीकार्य देय राशि को पाने का हकदार हैं, तो उन्हें प्रतिवादी एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ भी उनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)